न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 925/2022

अनवान : —

1. सुमित्रा पुत्री रावताराम पत्नी कृष्ण लाल जाति खाति निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़।

—वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः 28/3/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 160/142 की 5.5660है0 भूमि में से 1/14 हिस्सा भमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीया का नाम गुड्डी पुत्री रावताराम जाति खाती साकिन पिचकराई दर्ज है जबकि वादीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड व सरपंच रिपोर्ट में वादीया का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति खाती निवासी किशनपुरा तहसील हनमानगढ़ दर्ज है। वादीया का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीया के खातेदार हकूकों का कनन होता है तथा वादीया को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद—बीज व अनुदान आदि नही मिल रहा है। इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में गुडडी के स्थान पर सुमित्रा दर्ज करवाना चाहती है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम शुद्धिकरण करने पर प्रतिवादी स0 1 को कोई पेरशानी नही होती है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में ना तो कोई हिस्सा कम होगा और ना ही कोई हिस्सा ज्यादा होगा। वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड मे उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम गुडडी के स्थान पर सुमित्रा दुरस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहा आखिरकार बमुकाम नोहर तहसील परिसर नोहर में साफ इन्कार हो गया यही विनाय मु[illegible]। वादीया अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादीया के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीया का सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्ण लाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम साकिन पिचकराई दर्ज हो गया जिससे वादीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादीया के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड व रिपॉर्ट सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराई आदि में वादीया का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्ण लाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ अंकित है। अतः मुताबिक वादीया के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई के स्थान पर गुडडी उर्फ सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीया ने रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 160/142 की 5.5660है0 भूमि में से 1/14 हिस्सा भमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादीया अपना नाम गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई के स्थान पर गुडडी उर्फ सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड व रिपॉर्ट सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराई आदि में सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। इस प्रकार वाद वादीया साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराई व वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद वादीया स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 160/142 की 5.5660है0 भूमि में से 1/14 हिस्सा भमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम जाति खाती निवासी पिचकराई दर्ज है, में **गुडडी पुत्री रावताराम जाति खाती निवासी पिचकराई के स्थान पर गुड्डी उर्फ सुमित्रा पत्नी कृष्ण लाल जाति खाती निवासी किशनपुरा दिखनादा**

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जॉच गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 925/2022

अनवान : –

1. सुमित्रा पुत्री रावताराम पत्नी कृष्ण लाल जाति खाति निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 160/142 की 5.5660है0 भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम जातती खाती निवासी पिचकराई दर्ज है, में **गुडडी पुत्री रावताराम जाति खाती निवासी पिचकराई के स्थान पर गुड्डी उर्फ सुमित्रा पत्नी कृष्ण लाल जाति खाती निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जॉच गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम निवासी पिचकराई ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/3/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested